



राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
एवं
प्रगति विवरण 2016-17

पर्यावरण विभाग, जयपुर

1. पर्यावरण विभाग का कार्य एवं उद्देश्य –

पर्यावरण विभाग के कार्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गये हैं –

(क) पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बन्धित मामले और निम्नलिखित मामलों के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना।

- पारिस्थितिकी सन्तुलन का परिरक्षण।
- पर्यावरण सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन।
- पर्यावरण से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित क्रियाकलाप।
- प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना।


(ख) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं राजस्थान जैव विविधता मंडल से सम्बन्धित समस्त मामलों का निवारण और नियंत्रण।

(ग) कार्मिक, सामान्य प्रशासन, वित्त और वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त मामले।

2. संगठनात्मक रचना –

- पर्यावरण विभाग का गठन वर्ष 1983 में किया गया था।
- वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
- पर्यावरण विभाग में शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, उप निदेशक, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद सृजित हैं। विभाग का प्रशासनिक ढांचा एवं सृजित पद अग्रानुसार हैं।

पर्यावरण विभाग का संगठनात्मक ढांचा



पर्यावरण निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण (31.12.16 को)

क्रम. सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
2.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	1	1	0
3.	उप निदेशक (पर्या)	1	1	0
4.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
5.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0

6.	प्रोग्रामर	1	1	0
7.	सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड-11)	1	1	0
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
9.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
10.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	1	0	1
11.	निजी सहायक	2	2	0
12.	लिपिक ग्रेड-1	2	2	0
13.	सूचना सहायक	2	1	1
14.	लिपिक ग्रेड-11	2	0	2
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	3	0
	योग	21	15	6

3. पर्यावरण विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन की कार्यवाही निम्नानुसार की गई-

3.1 राज्य पर्यावरण नीति 2010 के क्रियान्वयन का नियमित प्रबोधन :
राज्य पर्यावरण नीति 2010 के कार्यकारी बिन्दुओं से सम्बन्धित क्रियान्विति रिपोर्ट विभिन्न विभागों से समय-समय पर मंगवाई जाकर इसका संकलन कर प्रबोधन किया जा रहा है।

3.2 प्लास्टिक कैंरी बैग्स पर प्रतिबन्ध :
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 जारी कर दिनांक 01 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैंरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा

राज्य को 'प्लास्टिक कैंरी बैग मुक्त क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से विशेष अभियान चलाये गये।

- 3.3 फसल कटाई के बाद बचे हुए भूसे को जलाने पर प्रतिबन्ध :
राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 से राज्य में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने पर समस्त राज्य में प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
- 3.4 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन एल सी पी):-
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राज्य की 6 झीलों, यथा फतेहसागर, पिछोला, मान सागर, आना सागर, पुष्कर सरोवर एवं नक्की झील शामिल की गई है। जिसमें से फतेहसागर, पिछोला एवं मान सागर झील का कार्य पूर्ण हो गया है। अन्य 3 झीलों पर कार्य चालू है। इस केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में भारत व राज्य सरकार के द्वारा 50:50 प्रतिशत का अंश दिया जाता है। कार्य का सम्पादन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कराया जाता है। राज्यांश पर्यावरण विभाग के बजट मद में उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.5 सांभर झील के संरक्षण संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तृत योजना तैयार किये जाने हेतु विशेषज्ञ ऐजेंसी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर को रूपये 1,24,14,000/- की स्वीकृति प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा अन्तिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना रिपोर्ट पर विभिन्न सम्बन्धित विभागों से प्राप्त अभिशंकाओं/टिप्पणियों का परीक्षण किया जाकर परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

- 3.6 राज्य में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति आवेदन पत्रों के **online submission** तथा **disposal** की सुविधा को और बेहतर बनाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अपने एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया। सम्मति के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जमा (ई-मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के एम.आई.एस द्वारा दिनांक 19.11.2014 से प्रारम्भ की गई थी।
- 3.7 जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2016 तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा (ई-मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 20.08.2015 से प्रारम्भ की जा चुकी है।
- 3.8 राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का सरलीकरण तथा वैधता अवधि में विस्तार किया गया। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हरी श्रेणी (**Green Category**) में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, उनको सम्मति आवेदन पत्र के जमा कराने की रसीद को राज्य मण्डल द्वारा सम्मति माना जायेगा। इन उद्योगों को यह आवेदन पत्र एक बार ही जमा कराना होगा एवं हरी श्रेणी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सम्मति नवीनीकरण की अनिवार्यता को

समाप्त कर दिया गया है। यह सम्मति आवेदन दिनांक 01/12/2015 से ऑनलाईन जमा कराये जाने की सुविधा एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई के पंजीकृत ई मेल आईडी पर मेल द्वारा प्रेषित करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका प्रिंट आउट कहीं से भी लिया जा सकता है। ऑनलाईन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा, प्रक्रिया के सरलीकरण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में राज्य मण्डल के मुख्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न सम्मति/प्राधिकार एवं पंजीयन जारी करने की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई। यथा 50 के.एल.डी. से कम उच्छिष्ट निस्त्राव करने वाली टैक्सटाइल इकाइयों के प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

3.9 मोबाइल 'ऐप' राज वायु:-

राज्य मण्डल द्वारा "राज वायु" नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल 'ऐप' 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। इस मोबाइल 'ऐप' पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की विभिन्न रंगों के आरेख के रूप में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। यह मोबाइल 'ऐप' यूनिसेफ, राजस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

3.10 आवा-कजावा तकनीक पर आधारित परम्परागत भट्टों हेतु मार्ग-दर्शिका:-

राज्य मण्डल द्वारा कुम्हारों द्वारा परम्परागत तकनीक पर आधारित आवा-कजावा पद्धति के माध्यम से छोटे पैमाने पर मिट्टी के बर्तन, केलु व ईंटों के निर्माण हेतु दिनांक 12.07.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई।

3.11 सी.ई.टी.पी. हेतु मार्गदर्शिका:-

राज्य में स्थापित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई। इस मार्गदर्शिका द्वारा पूर्व में स्थापित एवं भविष्य में स्थापित होने वाले संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों, इन्हें संचालित करने वाली एजेन्सी/ट्रस्ट तथा सदस्य इकाइयों हेतु पृथक-पृथक दिशा-निर्देश अधिसूचित किये गये हैं।

3.12 सम्मति वैधता अवधि में बढ़ोतरी:-

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 के द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर सम्मति वैधता अवधि में विस्तार करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिए सम्मति जारी करने का प्रावधान किया गया है उक्त श्रेणियों में पूर्व में सम्मति की वैधता क्रमशः 3, 5 एवं 10 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त कम प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत कर इनकी सम्मति लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।

4. वर्ष 2016-17 की उपलब्धियां

प्रचार-प्रसार हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य:-

(अ) पर्यावरण विभाग को पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित है :-

आयोजना मद

3435- पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण		
03- पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन		
102- पर्यावरणीय योजना और समन्वय		
01- पर्यावरण सुधार		
11- विज्ञापन, विक्रय एवं प्रसार	राशि रु.	29.00 लाख

कुल राशि रु. 29.00 लाख

दिसम्बर 2016 तक व्यय राशि रु. 17.47 लाख

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों, पृथ्वी दिवस: 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवस: 16 सितम्बर के अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी संदेश प्रकाशित कराये गये। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2016 के अवसर पर विभाग द्वारा रामनिवास बाग, जयपुर में "रन फॉर एनवायरमेंट" रैली का आयोजन किया गया। मकर संक्रान्ति के अवसर पर पंतग उड़ाने हेतु चाइनीज मांझे, धातु से निर्मित धागे, कांच एवं लोहे के पाउडर से निर्मित मांझे का उपयोग न करने हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों में दो दिवस लगातार संदेश दिया गया है।

5. पर्यावरण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख दिवसों पर पर्यावरणीय कार्यक्रम जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों के माध्यम से आयोजित कराए गए हैं :

पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून
ओजोन परत संरक्षण दिवस	16 सितम्बर

उक्त दिवसों के आयोजन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रत्येक दिवस के आयोजन हेतु 50-50 हजार रुपये की राशि सभी जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान रखा गया।

6. राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार :

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को "राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" प्रदान किया जाता है। उक्त पुरस्कार में राशि रु 5 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-संगठन/संस्थान को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में

उल्लेखनीय कार्य हेतु, राशि रु 3 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को-पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु एवं राशि रु 2 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-व्यक्ति विशेष को जिसने पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष विज्ञप्ती माह अक्टूबर/नवम्बर में जारी की जाकर 30 नवम्बर/दिसम्बर तक नामांकन के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है तत्पश्चात विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त नामांकनो की छटनी की जाती है व अन्ततः पर्यावरण मंत्री महोदय की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा संवर्गानुसार पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

इस वर्ष राशि 5 लाख रूपये, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र, संगठन संवर्ग में श्री दादू पर्यावरण संस्थान, टोंक, राशि 3 लाख रूपये, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र, नगर पालिका वैर, (जिला-भरतपुर), एवं राशि 2 लाख रूपये, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत संवर्ग में श्री विजय सिंह पुनिया, निवासी जयपुर को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. जिला पर्यावरण समितियां :

पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समितियां गठित की गई है। जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है। जिला पर्यावरण समिति का सदस्य सचिव उप वन संरक्षक/मंडल वन अधिकारी होता है।

इन समितियों की त्रैमासिक बैठके आयोजित करने का प्रावधान है तथा इनके द्वारा पर्यावरण के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इन समितियों के माध्यम से प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर 1975 को किया गया था। वर्तमान में सभी पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल में अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सदस्य सचिव के पद पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण विभाग के अधीन है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पुर्नगठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2016 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की विभिन्न उप धाराओं के अन्तर्गत तीन वर्ष तक के लिए किया गया है।

9. राजस्थान राज्य जैव-विविधता बोर्ड :

राजस्थान राज्य जैव-विविधता बोर्ड का गठन जैव-विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना प. 4 (8)1/2005/पार्ट-1 जयपुर दिनांक 14.09.2010 द्वारा किया गया था। पुर्नगठन की प्रक्रिया राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह बोर्ड राज्य की जैव विविधता के संरक्षण एवं जैव-विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों की नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। दिनांक 22.05.2016 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस सभी जिला मुख्यालयों एवं जयपुर में समारोहपूर्वक मनाया गया।

प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश एवं संभागीय मुख्यालयों पर आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पुस्तक, पोस्टर, स्टिकर्स एवं

पोस्टकार्ड इत्यादि सहायक प्रचार सामग्री के माध्यम से युवा पीढ़ी को जैव विविधता के महत्व एवं इसके संरक्षण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

दिसम्बर, 2016 तक जैव विविधता बोर्ड द्वारा 91 जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया जा चुका है।

विद्यालय स्तर पर **Bio-clubs** स्थापित करने का कार्य प्रगतिरत है। उदयपुर में गमधर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क का कार्य इस वर्ष में सम्पन्न हुआ है।

10. भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं/नियमों का क्रियान्वयन:

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/नियमों आदि की पालना विभिन्न विभागों, संस्थाओं, मंडलों के माध्यम से करवाई जाती है। पर्यावरण विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नांकित अधिनियमों एवं नियमों की पालना संबंधी कार्यवाही करवाई जाती है।

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं नियम, 1986
2. जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं नियम, 1975
3. वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं नियम, 1983
4. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिनियम, 2006
5. अरावली अधिसूचना, 1992, यथा संशोधित
6. फलाई ऐश अधिसूचना, 1999, यथा संशोधित
7. वेटलैंड अधिसूचना, 2010
8. जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं नियम, 2004
9. प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
10. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
11. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
12. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
13. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016
14. ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 1999 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को अलवर जिले में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के तहत पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को परीक्षण एवं अभिशांसा हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

11. आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत अधिसूचना:

आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25 जून 2009 द्वारा जारी की जा चुकी है। भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम संख्या प.25/7/2012-ESZ/RE दिनांक 05.05.2015 से माउन्ट आबू ईको सेन्सिटिव जोन में विभिन्न गतिविधियों के प्रबोधन हेतु प्रबोधन समिति का पुर्नगठन दो वर्ष के लिए किया गया है।

आबू पर्वत संवेदनशील क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25.06.2009 के प्रावधानानुसार आबू पर्वत संवेदनशील क्षेत्र का जोनल मास्टर प्लान भारत सरकार के पत्र क्रमांक प.25/7/2012-ESZ/RE दिनांक 28.09.2015 से अनुमोदित किया गया है। इसके संबंध में राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 06.11.2015 को पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.10.2015 का प्रकाशन किया गया है।

12. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान :

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2008 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority) राजस्थान का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 में वर्णित गुप-बी की परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करता है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का आ.1533(अ)दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण

प्राधिकरण, (State Level Environment Impact Assessment Authority-SEIAA) राजस्थान का पुर्नगठन 24 दिसम्बर, 2014 को किया गया जिसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हैं। श्रीमती अलका काला, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष; श्री संकठा प्रसाद, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) सदस्य; एवं पर्यावरण विभाग के शासन सचिव, उक्त प्राधिकरण में सदस्य सचिव हैं। प्राधिकरण की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा एक 11 सदस्यीय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान (State Level Expert Appraisal Committee-SEAC) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष डा. एस.एस. राठौड सहबद्ध आचार्य, खनन इंजीनियरिंग विभाग, टेक्नोलोजी एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान एवं सदस्य सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, पर्यावरण विभाग हैं।

दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 एवं दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2016 तक राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) / राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) में पर्यावरण स्वीकृति (EC) हेतु प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक	कुल प्राप्त आवेदन	EC जारी	केन्द्र सरकार को स्थानान्तरित	SEAC को Refer Back	Close & Delist	Terms of Reference जारी की गयी	Transferred to DEIAA
01.01.2016 से 31.03.016	4030	370	0	19	1	23	0
01.04.016 से 31.12.016	1085	1116	0	15	98	4688	150

दीपक कुमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2009 की विशेष अनुमति याचिका (सि) सं. 19628-19629 तारीख 27 फरवरी, 2012 में आई.एस.सं. 12-13ए के आदेश के अनुसरण में खनन पट्टे के क्षेत्र

विचार किए बिना लघु खनिजों के खनन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया जिससे पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के प्रकरणों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। लघु खनिज की छोटी खानों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 द्वारा लघु खनिज की छोटी खानों के लिए प्रवर्ग "ख-2" परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (District Level Environment Impact Assessment Authority-DEIAA) को दिये गये एवं DEIAA की सहायता हेतु जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (District Level Expert Appraisal Committee-DEAC) का प्रावधान किया गया।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2016 से लघु खनिजों के खनन के लिये प्रवर्ग "ख-2" परियोजनाओं में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिये देश के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। जिला स्तरीय प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला कलेक्टर हैं। यह अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में जारी की गयी है। उक्त प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिये उक्त अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (District Level Expert Appraisal Committee)(DEAC) देश के सभी जिलो के लिये गठित की गयी है।

राज्य में बड़ी संख्या में खनन लीज को देखते हुए जिला स्तरीय प्राधिकरणों एवं समितियों में मनोनीत सदस्यों को शीघ्र नामांकित करवाया गया एवं संभाग स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर जिला प्राधिकरणों एवं समितियों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रकरणों का निष्पादन प्रारम्भ करवाया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के हिम्मत सिंह शेखावत विरुद्ध राजस्थान राज्य ओ.ए. संख्या 123/2014 प्रकरण में दिनांक 04.05.2016 द्वारा दिए गए आदेशों के तहत जिन खनिज लीज के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं थी उनमें 01 जून, 2016 से खनन कार्य बन्द करने के आदेश जारी किए गए थे जिससे बड़ी संख्या में खनन कार्य प्रभावित हुआ था। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार के स्तर से सभी संभव प्रयास किए गए। परिणामस्वरूप राजस्थान में खनन उद्योग की विशेष परिस्थितियों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2016 जारी कर जिला स्तर पर गठित प्राधिकरणों एवं समितियों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया गया जिससे राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर 24,500 से अधिक खनिज लीज के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाकर खनन कार्य पुनः प्रारम्भ करवाया जा चुका है एवं खनन उद्योग में रोजगार के अवसर पुनः स्थापित किए गए हैं।

दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2016 तक जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (DEAC) / जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) में पर्यावरण स्वीकृति (EC) हेतु प्राप्त प्रकरणों एवं निस्तारण की सूचना निम्नानुसार है:-

दिनांक	कुल प्राप्त आवेदन	EC जारी	SEAC को Refer Back	Close & Delist
01.04.016 से 31.12.016	27426*	21933	86	469

* प्राप्त आवेदनों में एक ही लीज के एकाधिक आवेदन भी शामिल हैं।

13. पर्यावरण विभाग की वेबसाइट और एम.आई.एस सॉफ्टवेयर:

- सम्मति व ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेकिंग की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर चालू किया जा चुका है।
- पर्यावरण विभाग का नया पोर्टल माह दिसम्बर 2015 से चालू हो गया है। जिसमें पर्यावरण विभाग, जैव विविधता बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट एक पोर्टल में उपलब्ध है।

- पर्यावरण विभाग की वेबसाइट में माह जनवरी, 2017 तक की पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) की PDF फाइलें अपलोड हो चुकी है एवं यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु 07 दिसंबर 2015 से प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जिसके अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति हेतु आवेदन ऑनलाइन करने पर ही स्वीकार किये जा रहे है।

14. बजट वर्ष 2016-2017:

पर्यावरण विभाग का वर्ष 2016-17 के लिए आयोजना भिन्न मद में राशि रु 111.95 लाख तथा आयोजना मद में राशि रु 2576.88 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:-

वास्तविक व्यय आयोजना व्यय (रूपये लाखों में) (2012-13 से 2016-17 तक)

क्र.सं.	मदवार विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (माह दिसम्बर 2016 तक)
1	वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते	6.60	9.18	10.23	39.98	23.73
2	पर्यावरण शिक्षा एवं सुधार	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
3	विज्ञापन एवं प्रचार, प्रसार व्यय	39.80	38.89	26.32	29.99	17.47
4	सी.ई.टी.पी. को अनुदान*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना***	674.22	18.38	3268.82	1958.75	625.91
7	राजस्थान जैव विविधता बोर्ड	200.94	222.58	203.46	194.50	109.67
8	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार	7.63	7.62	7.61	7.88	0.09

9	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	3.21	1.77	2.42	5.99	3.96
10	बायो मेडिकल-वेस्ट प्रबंधन	193.03	55.14	0.00	0.00	0.00
11	विभागो द्वारा विशिष्ट सेवाओ पर व्यय	0.00	0.00	37.08	0.00	0.00
योग		1125.43	415.36	3555.94	2237.09	780.83

आयोजना भिन्न व्यय (रूपये लाखो में)

(2012-13 से 2016-17 तक)

क्र.सं.	मदवार विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (माह दिसम्बर 2016 तक)
1	प्रशासनिक व्यय	75.13	92.61	83.21	102.61	91.12
योग		75.13	92.61	83.21	102.61	91.12